

घोषणा पत्र

(व्यावसायिक/तकनीकी कोर्स के लिए वित्तिय सहायता)

मैं _____ सुपुत्र / पत्नी श्री _____

निवासी _____ बोर्ड पंजीकरण संख्या _____

एवं तिथि _____ निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मेरा सुपुत्र/सुपुत्री _____ जो कोर्स
_____ के सेमेस्टर/वर्ष _____

मैं अनुक्रमांक _____ सत्र/वर्ष _____ सरकारी/निजि
संस्थान _____

जिला _____ में नियमित विद्यार्थी है।

2. मेरे पति/पत्नी द्वारा इस वित्तिय सहायता के लिए अलग से कोई आवेदन नहीं किया है।
3. मैं आज भी भवन निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ/हुई हूँ तथा बोर्ड का सक्रिय सदस्य हूँ तथा वेबसाइट पर मेरे द्वारा अपलोड की गई सूचना/दस्तावेज सही व अपडेटेड है।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरे समुचित ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं। इनमें से न तो कोई तथ्य गलत है और न ही कोई तथ्य छुपाया गया है। यदि उपरोक्त तथ्य किसी भी समय गलत पाये जाते हैं तो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मेरे खिलाफ दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही करने का हकदार होगा तथा मेरे द्वारा प्राप्त की गई व्यवसायिक/तकनीकी कोर्स के लिए वित्तिय सहायता की राशि को मैं लौटाने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी तथा मुझे अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित करने तथा मेरा पंजीकरण निरस्त करने का भी बोर्ड को अधिकार होगा।

स्थान:

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

तिथि:

मो० नं०: _____